ट्रांसजेण्डर लोगों को पहचान–पत्र जारी करने के लिए जिला स्तरीय समिति हेतु मार्गदर्शिका

1. ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी करने हेतु विधिक आधार

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेशः ट्रांसजेण्डर नागरिको को पूर्ण अधिकार की आवश्यकता

राजस्थान एवं पूरे विश्व में ट्रांसजेण्डर लोगों के साथ उत्पीडन, भेदभाव, हिंसा एवं शारिरिक शोषण होने का अत्यधिक जोखिम है जिसके परिणाम स्वरूप उनके अधिकारो का हनन होता है। ट्रांसजेण्डर के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA/ नालसा) के द्वारा दायर याचिका संख्या 400/2012 के सम्न्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 15 अप्रेल 2014 को एक एतिहासिक नालसा निर्णय दिया गया । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ट्रांसजेण्डर व्यक्तियो के अधिकारो की सुरक्षा एवं मूलभूत हकों के प्रावधान करने के लिये जन्म के समय प्राप्त लिंग की परवाह किये बगैर पूर्ण नागरिकता प्रदान करने की आवश्यकता को माना उक्त निर्णय की अनुपालना मे **सर्वोच्च न्यायालय** ने सभी केन्द्रीय व राज्य सरकारो को छः माह में अर्थात 15 अक्टूबर 2014 तक सिफारिशों को लागू करने के लिये निर्देशित किया। मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार है–

1. Hijras, Eunuchs, apart from binary gender, be treated as "third gender" for the purpose of safeguarding their rights under Part III of our Constitution and the laws made by the Parliament and the State Legislature.
2. Transgender persons' right to decide their self-identified gender is also upheld and the Centre and State Governments are directed to grant legal recognition of their gender identity such as male, female or as third gender.
3. We direct the Centre and the State Governments to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments.
4. Centre and State Governments are directed to operate separate HIV Serosurvellance Centres since Hijras/Transgenders face several sexual health issues.
5. Centre and State Governments should seriously address the problemsbeing faced by Hijras/Transgenders such as fear, shame, gender dysphoria, social pressure, depression, suicidal tendencies, social stigma, etc. and any insistence for SRS for declaring one's gender is immoral and illegal.
6. Centre and State Governments should take proper measures to provide medical care to TGs in the hospitals and also provide them separate public toilets and other facilities.

7. Centre and State Governments should also take steps for framing various social welfare schemes for their betterment.
8. Centre and State Governments should take steps to create public awareness so that TGs will feel that they are also part and parcel of the social life and be not treated as untouchables.
9. Centre and State Governments should also take measures to regain their respect and place in the society which once they enjoyed in our cultural and their social life.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने अक्टूबर 2013 में ट्रांसजेण्डर समुदाय के साथ हो रही समस्याओं पर गहन अध्ययन हेतु एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया। विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट नालसा निर्णय दिनांक के पूर्व प्रकाशित की गई जो कि निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है – http://socialjustice.nic.in/transgenderpersons.php ।

सूप्रीमकोर्ट के आदेश में भी इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए लागू करने पर प्रकाश डाला था।

2. <u>ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी करने हेतु प्रक्रिया</u>

(अ) समिति का प्रावधान

ट्रांसजेण्डर को पहचान–पत्र जारी करने के लिए सर्व प्रथम जिला स्तर एक कमेटी का गठन किया जाना है। कमेटी के गठन एवं सदस्यों की जानकारी का वर्णन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक–प. 6 (20) प्र.सु./ग्रुप–3/2016 दिनांक 01–04–2016 में दिया गया है। इस पत्र के अनुसार महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा के अनुसार राज्य में तृतीय लिंग वर्ग के लोगों को पहचान–पत्र जारी करने हेतु जिला स्तर पर निम्न लिखित अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया जावेगा :–

क्र.सं.	अधिकारी	पद
1	कलक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
3	एक सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
4	तृतीय लिंग वर्ग के दा प्रतिनिधि	सदस्य
5	एक मनोवैज्ञानिक/(स्थानीय स्तर परउपलब्ध)	सदस्य
6	उपनिदेशक/सहायक निदेशक सान्याअवि	सदस्य–सचिव

- उक्त समिति जिला स्तर पर तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों की पहचान कर प्रमाण–पत्र/पहचान –पत्र जारी करने का कार्य करेगी। यह प्रमाण–पत्र/पहचान –पत्र सभी राजकीय प्रयोजनो के लिए जैसे–राशनकार्ड, आधारकार्ड एवं जन्म प्रमाण–पत्र आदि के लिए मान्य होगा।
- उक्त जिला स्तरीय समिति में क्रम संख्या 3 पर सामाजिक कार्यकर्ता एवं क्रम संख्या 4 पर अंकित तृतीय लिंग वर्ग के दो प्रतिनिधि सदस्य जिला कलक्टर की अभिशंषा पर राज्य द्वारा मनोनीत किये जावेंगे।
- मनोवैज्ञानिक की शैक्षणिक योग्यता एम.ए. (साईकोलोजी) होगी एवं अनुभवी व्यक्ति को वरीयता प्रदान की जायेगी।
- मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा, तथा ये बिना कारण बताये हटाये जा सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में ही मनोनित सदस्यों क़ा कार्यकाल समिति के अभिशंसा पर बढ़ाया जा सकता है।
- समिति की बैठक आवश्यकतानुसार जिला कलक्टर द्वारा आयोजित की जायेगी। इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज जैसे पंजिकाऐं/पत्रावलियां आदि जिले के उपनिदेशक/सहायक निदेशक (सदस्य– सचिव) के द्वारा संधारित की जायेगी। समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

(ब) **पहचान–पत्र हेतु आवेदन की प्रक्रिया:**

- आवेदक को मार्गदर्शिका के साथ संलग्नक आवेदन प्रारुप में जिला स्तरपर समिति को आवेदन करना होगा।
- आवेदन प्रपत्र के साथ एक नॉन–ज्युडिशियल शपथपत्र देना होगा। जिसमें आवेदक स्वयं की ओर से अपने आपको ट्रांसजेण्डर पहचानपत्र के लिए अपनी पहचान ट्रांसजेण्डर होने की घोषणा करेगा।
- यह आवेदन प्रपत्र जिला स्तर पर कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- जिला स्तरीय समिति आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का सत्यापन करने के पश्चात आवेदक को पहचान–पत्र जारी करेगी तथा पहचान पत्र में ट्रांसजेण्डर के प्रकार कॉलम में स्त्री, पुरूष या तृतीय लिंग का उल्लेख करेंगे।
- पहचान–पत्र छपवाने का दायित्व व खर्च जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

- आवेदक को आवेदन करने के पश्चात 15 कार्य दिवस मैं पहचान–पत्र जारी किया जाना अनिवार्य होगा।
- आवेदक को जारी किये गये पहचान पत्र उसके सत्यापन व रिपोर्ट सहित उसके बारें में सम्पूर्ण जानकारी का संधारण जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में किया जायेगा।
- पहचान–पत्र जारी करने के लिए आवेदक का किसी भी प्रकार का चिकित्सकीय परीक्षण नही किया जायेगा। पहचान–पत्र हेतु सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार स्वयं के द्वारा दी गई लिंग घोषणा के आधार पर जारी किया जायेगा।

(स) पहचान –पत्र आवेदन निरस्त होने एव पुनः आवेदन की प्रक्रियाः

1. किसी भी कारण से आवेदन निरस्त होने की स्थिति में आवेदक को निरस्त के कारण सहित 7 कार्य दिवस में सूचित कर दिया जायेगा।
2. सूचना मिलने के बाद आवेदक को पुनरावलोकन हेतु आवेदन करना होगा। इसके लिए एक प्रार्थनापत्र के साथ जिस कारण से आवेदन निरस्त किया गया था उनकी पूर्ति करके पुनः आवेदन करेगा।
3. पुनः आवेदन जिला समिति को ही किया जाना होगा। जिला स्तरीय समिति आवेदन का पुर्नरावलोकन करने के बाद 7 कार्य दिवस में पहचान–पत्र जारी करने के सम्बन्ध में निर्णय लेगी। तद्नुसार आवेदक को सूचित किया जायेगा।
4. पुनः आवेदन एवं पुनरावलोकन की प्रक्रिया को कुल 30 कार्य दिवस में पूर्ण किया जाना चाहिए।

(अशोक कुमार)
अति. निदेशक (समूह)